

पुलिस परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : उपचाव के तहत पुलिस परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस परिवार की महिलाएं अचार, जूस, चटनी आदि बनाने के गुरु सख रही है। पुलिस लाइन पौड़ी में सिनियर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस परिवार के कल्याण हेतु गठित उत्तराखण्ड पुलिस वाइफ वेलेफर एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉ। अलननंदा अशोक के मार्गदर्शन एवं वर्च एसोसिएशन पौड़ी शेवता चौबे के निर्वेशन में उपचाव पौड़ी के सहयोग से पुलिस परिवार की महिलाओं को अचार, जूस, चटनी आदि बनाने का तीन



पुलिस परिवार की महिलाएं अचार, चटनी, जूस बनाने का प्रशिक्षण लेते हुए।

वैज्ञानिक पद्धति के पालन करने का तरीका हमारी सभ्यता और विरासत में : डा. जोशी

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुणा गढ़वाल विविक के भौतिक विज्ञान विभाग में व्याख्यानमाला आयोजित की गई। जिसमें छात्र-छात्राओं को विज्ञान के साथ ही टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।

इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे आई आईएसटे बैंगलोर के असिस्टेंट प्रोफेर सर और गढ़वाल विविक पुरुषतन छात्र डा। भगवती प्रसाद जोशी ने कहा कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में जागरूक से सोने तक चाहिए। कार्यक्रम में रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के

विविकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे विविकी सती प्रधारी फल संरक्षण केंद्र पौड़ी द्वारा अचार, फलों का जैम, जूस व चटनी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को लेकर महिलाओं में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों ने आकोश जाता। इस मौके पर ग्रामीणों ने बैठक आहुत कर जल्द निर्माण कार्य शुरू न होने पर अदोलन के साथ ही लोकसभा चुनाव का बहिकार करने की चेतावनी ही।

बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट ने कहा कि भल्लों गा॒व - जा॒माणी॑ खाल मोट्यार्ग से सुनारांग सिरणी गाँव और देली गाँव के ग्रामीणों की सुविधा के लिए 15 वर्ष पूर्व उत्तर लिंक मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक उत्तर लिंक मोटर मार्ग का लोक निर्माण विभाग की निर्माण द्वारा न तो अधिग्रहण किया गया न ही इसका एलाइंगमेंट ठीक कर डामरीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया।

ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उपचाव पौड़ी द्वारा अचार, जूस व चटनी आदि बनाने को आत्मनिर्भर व स्वरोजगार से जोड़ने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

इसलिए विद्यार्थियों को वैज्ञानिक रूप से अपने आसपास की दृष्टि के अनुरूप योग्य करने के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता नहीं होने पर भी ग्रामीण नहीं रुकना चाहिए। बल्कि उनके विकल्प खोजने की उपलब्धता जीवन में जागरूक से सोने तक चाहिए। कार्यक्रम में रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के

माधवाश्रम अस्पताल में मरीजों को हाईजीनिक किट और जूस बांटा

रुद्रप्रयाग : अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस टिक्स के अवसर पर जिला रेडक्रॉस समिति द्वारा प्रयाग के सरस्तों द्वारा स्थित माधवाश्रम चिकित्सालय में भूती मरीजों का हालचाल जाना तथा उन्हें हाईजीनिक विधि के अनुरूप योग्य करने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह बुझ के निर्वाचन में मुनिकीरी पुलिस ने पुलिस टीम का गठन कर मुनिकीरी क्षेत्र के घाटों गहन खोज-बीन, साढ़ी वर्दी में संदिग्ध लोगों से पूछताछ, 150 सीसीटीवी कैमरों के फॉटेज की जांच और 500 मोबाइल फोनों की सर्विलोस के बाद घाट मुनिकीरी पर चौरों की योजना बांटा हुआ। जिनके कब्जे नाजायज जाकू व घटनाओं में प्रयोग वाले उपकरण बरामद किये गये। गहन पूछताछ के बाद विवाहीयों का शिविर किया गया। जिनके कब्जे नाजायज जाकू व घटनाओं में प्रयोग वाले उपकरण बरामद किये गये। गहन पूछताछ के बाद विवाहीयों की यह लोग गोण्डा के निवासी है। इस लोग वाता सीजन व त्योहारों के अवसर पर तीरथ स्थलों पर आते हैं। घाटों पर घूमने मौका देखकर ज्ञान कर रहे विवाहीयों के कपड़े, बैग व नकदी चौरों के कपड़े, बैग व नकदी चौरों के ले जाए हैं। यूरो के गोण्डा निवासी मनोज कुमार, बाबूगाम, गधेश्वरम, अमृत लाल, रविंद्र कुमार, अमरजीत, अशोक कुमार व सरोज कुमार को पुलिस ने पकड़ा है।

टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को दिया सांकेतिक धरना

नई टिहरी : टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर डीएम दफ्तर के बाहर सांकेतिक धरना दिया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञान सौपकर उनकी समस्या की नियरकण करने की मांग दी। सोमवार को टिहरी बांध प्रभावित घटकंडा उड़ान और सिल्ल उपरी के ग्रामीणों ने विस्थापन साथ परिसमितियों के भुगतान की मांग को लेकर डीएम दफ्तर के बाहर सांकेतिक धरना दिया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञान सौपकर उनकी समस्या की नियरकण करने की मांग दी। उन्होंने कहा कि एक



लेकिन टीएचडीसी और नुवोनीस विवाहीयों को गुमराह करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ के भीतर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होता है, ग्रामीणों को अदोलन के लिये बाध्य होना पड़ेगा। भट्टकंडा के पूर्व ग्राम प्रधान प्रदीप भट्ट ने कहा कि ग्रामीणों को अदोलन के लिये जनवरी माह में प्रदेश सरकार

को निर्देशित किया गया। मुख्य विवाहीय अधिकारी ने कहा कि जनपद में उद्यमियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने जिला स्तरीय उद्यम मित्र समिति के विवाहीयों को बड़े औद्योगिक अवस्थाएं को एक्सपोर्स विजित कराया। साथ ही उद्यमियों को उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं

ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिकार की दी चेतावनी

श्रीनगर गढ़वाल : देवरप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत भल्लोंगाँव से सिरणी गाँव, सुनार गाँव और देली गाँव को जोड़ने वाले लिंक मोटरसार्व के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों ने आकोश जाता। इस मौके पर ग्रामीणों ने बैठक आहुत कर जल्द निर्माण कार्य शुरू न होने पर अदोलन के साथ ही लोकसभा चुनाव का बहिकार करने की चेतावनी ही।

न्यायिक सक्रियता का नया दौर!

अजीत द्विवेदी

आमतौर पर माना जाता है कि कार्यपालिका के कमजोर होने से सरकार और विधायिका दोनों के कामकाज में न्यायपालिका का दखल बढ़ता है। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि न्यायिक संक्रिता के बारे में पहली बार भारत में जब सुनने को मिला तो वह कमजोर और गठबंधन की सरकारों का दौर था। उसी दौर में जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम भी बना था और सरकार के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप भी बढ़ा था। यह दौर लंबा चला था। नब्बे के दशक से शुरू करके नई सदी के दूसरे दशक के लगभग मध्य था। उस समय तक जब सर्वीच्य अदालत की स्थिति सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहने की थी। उसके बाद पिछले करीब नौ साल में, जबसे केंद्र में पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार सत्ता में है, सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों ने सत्तारूढ़ दल के विरोधियों के खिलाफ बेहिसाब कार्रवाई की है लेकिन ऐसी कोई टिप्पणी सुनने को नहीं मिली। उलटे सीबीआई, ईडी आदि एजेंसियों की शिकायत लेकर विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उससे पहले ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अधिकारों पर भी मुहर लगाई।



तय की गई वह उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रही है। यह भी लग रहा है कि उसका काम सिर्फ सरकार के फैसलों पर मुहर लगाने का नहीं रह गया है। अदालत सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना स्टैंड तय कर रही है, जो लगभग हर बार सरकार के स्टैंड से अलग दिख रहा है। राजनीति से जुड़े मसलों पर भी सर्वोच्च न्यायपालिका का रुख सरकार के रुख के अनुकूल नहीं है। न्यायपालिका से जुड़े मसलों पर तो सर्वोच्च अदालत का रुख सरकार के साथ लगभग टकराव वाला रहा है। सरकार के तमाम दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट न्यायिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा है। इसे संविधान के बुनियादी ढांचे से लेकर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की बहस तक में देखा जा सकता है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत साफ शब्दों में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का बचाव किया। यह संयोग है कि पिछले ही दिनों के शेवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात-छह के बहुमत से आए फैसले के 50 साल पूरे हुए हैं। यह फैसला न्यायिक इतिहास के उन बिरले

से इस देश की शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। इसका बचाव करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ दिन पहले कहा था कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत नॉर्थ स्टार यानी ध्रुवतारे की तरह है, जो हर मुश्किल घड़ी में रासता दिखाता है। इसी तरह पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री के स्तर से कई बार जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया। उन्होंने इसे भारतीय संविधान के लिए एलियन यानी बिल्कुल अनजान कांसेप्ट करार दिया। वे चाहते थे कि कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि को भी जगह मिले। लेकिन चीफ जस्टिस ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी राय खट्टे हुए कहा कि वे मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं है लेकिन उपलब्ध विकल्पों में से सबसे बेहतर है।

पिछले कुछ महीनों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सुनवाइयों के दौरान जजों द्वारा की गई टिप्पणियों को बारीकी से देखें तो एक बदलाव बहुत साफ दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे को ले सकते हैं। यह बड़ा सामाजिक मसला है और मानवाधिकार व इंसानी गरिमा से

पिछले कुछ बरसों में सर्वोच्च अदालत की ओर से दिए गए बहतरीन आदरशों की चर्चा करें तो उसमें एक अहम आदेश पिछले दिनों जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने दिया। उन्होंने हेट स्पीच से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि हेट स्पीच के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायत नहीं भी आती है तब भी राज्य स्वतः संज्ञान लेकर हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और अगर ऐसा करने में देरी होती है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। यह बेहद जरूरी और समय से दिया गया आदेश है।

सुनवाई पूरी नहीं हुई है लेकिन सॉलिसिटर जनरल की दलीलों से साफ है कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है। वे बार बार कह रहे हैं कि इस मामले को संसद के अंतर छोड़ा जाए क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुल कर कहा है कि अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए और इसे संसद के अंतर छोड़ना चाहिए। दूसरी ओर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ की टिप्पणियों से ऐसा लग रहा है कि अदालत इस विषय पर लोकप्रिय धारणा या मान्यता से अप्रभावित रहते हुए समर्लैंगिक लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। पता नहीं इस मामले में फैसला क्या आएगा लेकिन चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणियों से यह दिखाया है कि वे एक संवेदनशील और इंसानी गरिमा को समझने वाले व्यक्ति हैं, जो इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी उसी तरह की जानी चाहिए, जैसे लाखों-करोड़ों लोगों के साझा अधिकार की रक्षा की जाती है। सोशल मीडिया में ट्रोल होने का जोखिम उठा कर चीफ जस्टिस ने इस मामले में टिप्पणियां की हैं।

अदालत की ओर से दिए गए बेहतरीन आदेशों की चर्चा करें तो उसमें एक अहम आदेश पिछले दिनों जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने दिया।

उन्होंने हेट स्पीच से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि हेट स्पीच के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायत नहीं भी आती है तब भी राज्य स्वतः संज्ञान लेकर हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और अगर ऐसा करने में देरी होती है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। यह बेहद ज़रूरी और समय से दिया गया आदेश है। ध्यान रहे पिछले कुछ समय से मीडिया, सोशल मीडिया, सार्वजनिक कार्यक्रमों, राजनीतिक सभाओं आदि में नफरत फैलाने वाली बातें बहुत होने लगी हैं। राजनीतिक व सामाजिक धृतीकरण के लिए हेट स्पीच का एक बेहद असरदार दूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। इससे सामाजिक ताना-बाना बिखर रहा है। जिनको राजनीतिक लाभ होना है वह तो हो रहा है लेकिन इससे सामाजिक विरोधी विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गोदिले कहा है कि वास्तु में सहजा सहिट बिनाह रहा है और देश को को बढ़ा है।

ਗੈਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਾਦਸਥਾ ਕੇ ਲਿਏ ਯੁਕਤਿਕਰਣ ਔਰ ਸੁਧਾਰ

हरदीप एस पुरी

मोदी सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए कई उपाय कर रही है। जनवरी, 2021 से फरवरी, 2023 के बीच अंतरराष्ट्रीय गैस की कीमतों में 228 प्रतिशत की आश्वर्यजनक वृद्धि के बावजूद, भारत में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि को 83 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है, जो वैश्विक वृद्धि का केवल एक तिहाई है। राजनीतिक तौर पर विरोध कहने वाले, बढ़ती कीमतों की आलोचना करने की हड्डबड़ी में, यह देखने में विफल रहते हैं कि अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने अपने नागरिकों को अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए कितने अच्छे कदम उठाये हैं।



एमएमबीटीयू के अधिकतम सीमा और 4.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की न्यूनतम सीमा तय की गयी। अधिकतम सीमा पिछले 20 वर्षों के भारतीय कच्चे तेल की कीमत (लगभग 65 डॉलर प्रति बीबीएल) के 10 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है, जबकि न्यूनतम मूल्य का निर्धारण, नामांकन क्षेत्रों से गैस उत्पादन के लिए लगभग 3.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक समान रही रहीसं ताकि यह वित्तीय स्थिति सुधार सके।

हब थे
आधारि
(एनबी
आसपान
अकट्टूब
एपीएम
हाल में
जासेत

मौर एक हब की कीमतें, यानी ब्रिटिश—वर्चुअल ट्रेडिंग जोन नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट) और अभी भी 12 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के है। इसके अलावा, वर्तमान कीमतों ने केवल 2023-मार्च 2024 के अगले मूल्य चक्रमें भी कीमतों को प्रभावित किया होता। नियम में हुआ बदलाव यह सुनिश्चित करता है कि और को लाभ, बिना किसी समय अंतराल के ऑक कीमत अब अर्धवार्षिक आधार के लाभ, उवरक साल्सडा में कमा से सबाधत है, जिसके हर साल 2000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

त लेखे में इस बात पर प्रकाश डाला गया है गैस के लिए मौजूदा उच्च कूप की शीर्ष कठतर एलएनजी के अलावा, भारत में नियंता के लिए निरंतर उच्च कीमत सुनिश्चित घेरलू गैस की कीमतों का लंबी अवधि के अनुबंधों या यहां तक कि एलएनजी की बरीद से कोई लेना-देना नहीं है। रुके हुए अरित बिजली संयंत्रों को लेकर भी चिंता है। पिछ्ले अर्धवार्षिक मूल्य 8.57 डॉलर मबीटीयू के दौरान, कुछ बिजली संयंत्रों ने गैस लेना बंद कर दिया था, जिसके कारण और खरीद समझौते (जीएसपीए) के तहत

ओआईएल से उत्पादन पर निर्धारित अधिकतम सीमा पहले दो वर्षों के लिए समान रहेगी और फिर किसी भी लागत मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए, इसमें हर साल 0.25 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की वृद्धि होगी। ये सुधार नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) क्षेत्रों या उच्च दबाव, उच्च तापमान (एचपी—एचटी) क्षेत्रों की निजी कंपनियों को प्रभावित नहीं करेंगे, जिनके पास अधिकतम कीमत

योगानन करने की बाध्यता से जुड़ी समस्याएं थीं। 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की नई साथ, गैस विजली संयंत्रों को अब राहत देने आवश्यक भी है।

क्षेत्रों (डीपवाटर, अल्ट्रा डीपवाटर और वटी फील्ड) से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने सरकार ने मार्च 2016 में अधिसूचित किया एचटीएच्पी की अधिकतम कीमतों को वैकल्पिक ईंधन जैसे एलएनजी और ईंधन तेल के यहाँ तक पहुँचने के मूल्य के निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सरकार से क्षेत्रों से उत्पादन को व्यावहारिक नहीं माना आज, कठिन क्षेत्रों से उत्पादन, कल घेरलू किलोमीटर कर दी है। घेरलू कनेक्शन की संख्या 2014 के 22.28 लाख से बढ़कर 2023 में 1.03 करोड़ हो गई है। भारत में सीजीडी से कवर किये गए जिलों की संख्या 2014 के 66 से बढ़कर 2023 में 630 हो गयी है, जबकि सीएनजी स्टेशन 2014 के 938 से बढ़कर 2023 में 5,283 हो गए हैं। भारत की पुलाएनजी टर्मिनल पुनर्गै सीकरण क्षमता 2014 के

दन के लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गया और गले कुछ वर्षों में इसके 30 प्रतिशत तक तो उम्मीद है। इन क्षेत्रों से उत्पादन की प्रकृति, और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए, अम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल और गैस परिचालन के लिए तेजी से आ का विस्तार कर रहा है तथा उपभोक्ताओं दकों दोनों के हितों को संतुलित करने के गत सुधारों को त्रिमानित कर रहा है। भारत नेस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई 2014 के किलोमीटर से बढ़ाकर 2023 में 22,000 21.7 एमएमटीपीए से बढ़कर 2023 में 42.7 एमएमटीपीए हो गई है, जबकि 20 एमएमटीपीए क्षमता निर्माणाधीन है।

प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग के साथ, भारत अपने ऊर्जा-स्रोतों में व्यापक बदलाव के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को साकार करने के मार्ग पर है। भारत के लिए एक स्वच्छ, हरित और सतत ऊर्जा भविष्य का विजन तेजी से वास्तविकता बन रहा है।

लेखक भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं।

धार्मिक स्थलों से शोरगुल बंद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद देशभर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया है। उत्तराखण्ड में भी तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, हालांकि इसे लेकर विरोध भी किया जा रहा है लेकिन लगता है इस बार लाउडस्पीकर के शोर से आम लोगों को राहत मिलने वाली है। लाउड स्पीकर को लेकर धर्मगुरुओं द्वारा अलग-अलग दलील भी दी जा रही है लेकिन नियम लागू किया गया है तो यह सब के लिए समान रूप से प्रभावी होना ही चाहिए। लाउडस्पीकर से धर्म का प्रचार करना एक सीमा तक तो ठीक है लेकिन जब यह शोर बनने लगे तो इस पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकारों ने इस पर गंभीरता से कार्यवाही शुरू कर दी है जिसका असर भी दिखने लगा है। धनि प्रदृष्टि को लेकर अलग-अलग नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत दिन और रात के समय इसकी आवृत्ति में अंतर हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 डेसिबल जबकि रात के लिए 70 डेसिबल की सीमा तय की गई है। व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए दिन के समय 65 डेसिबल और रात के लिए 55 डेसीबल की अनुमेय सीमा निर्धारित की गई है। इस बीच, अनुमेय सीमा आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है शांत क्षेत्रों में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के लिए 40 डेसिबल की अनुमेय सीमा निर्धारित की गई है। साइलेंस जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थलों या प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी भी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर की यह मूहिम अभी शुरू की गई है बल्कि इससे पहले भी इस दिशा में प्रयास किए गए थे लेकिन राजनैतिक तुष्टीकरण एवं धार्मिक उन्माद को देखते हुए राज्य सरकार अधिक गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर पाइ। लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर एक फिल्मी हस्ती भी विवादों में रह चुकी है जबकि जबरन लाउडस्पीकर उतारे जाने की कुछ घटनाओं के कारण सामाजिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई थी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को सूचनाएं प्रसारित करने के लिए तो प्रयोग किया जा सकता है लेकिन सुबह शाम धार्मिक कार्यक्रम चलाने की अनुमति कराई नहीं दी जा सकती। भविष्य में भी यह तय करना होगा कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर आसपास के लोगों को परेशान ना करें और यह केवल एक निश्चित अवधि का अभियान बन कर ना रह जाए।

चेहरे की खूबसूरती को प्रभावित करती है आइब्रो, इन घरेलू नुस्खों से बनाएं इन्हें काला और घना



आपका चेहरा डल लगेगा या ब्राइट यह आपकी आंखों पर निर्भर करता है। खूबसूरत आंखें सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं और आंखों की सुंदरता घनी काली आइब्रोज से कई गुणा बढ़ जाती है। सभी महिलाओं की आइब्रो की रंगत और डेसिटी अलग-अलग होती है। आइब्रो अगर पतली हो तो इसका असर चेहरे की खूबसूरती पर पड़ता है। जिस तरह सिर पर काले धने बाल हमारी पसर्नैलिटी में निखार लाते हैं, उसी तरह घनी आइब्रो भी चेहरे और पसर्नैलिटी में निखार लाती है। इसलिए सभी महिलाएं अपने आइब्रो को लेकर काफी सचेत रहती हैं। आज इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे घेरेलू नुस्खों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आइब्रो को काला और धना बनाने में मदद मिलेगी। आइये जानते हैं इन

उपायों के बारे में:
कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल में पाया जाने वाला फैटी एसिड और विटामिन हेयर ग्रो को प्रमोट करने वाले होते हैं। इसे आइब्रो को धना करने के लिए यूज किया जा सकता है। रात में सोने से पहले कुछ बूंद कैस्टर ऑयल को रूई की मदद से आइब्रोज पर लगाएं।

आइब्रो पर लगाने से आइब्रो को काला और धना किया जा सकता है। इसके लिए 1 प्याज से रस निकाल लें। अब इसे आइब्रो पर लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। बाद में चेहरे को धो लें। इससे आइब्रो को मोटा किया जा सकता है।

कच्चा दूध काली और चमकदार आइब्रो पाने के लिए

इसे रात भर लगा रहने दें।
नासियल का तेल ब्यूटी केर
में हमारा पसंदीदा होता है नासियल
तेल। स्किन से लेकर हेयर तक
और फेस से लेकर पैरों तक इसका
उपयोग किया जा सकता है। इससे
रेज़ दो बार आईब्रो की मसाज
— दो दो दो दो दो दो दो दो दो

आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर
सकती हैं। ऐसे में कच्चे दूध को
कॉटन की मदद से आई ब्रो पर
अप्लाई करें। दिन में एक बार इसे
लगाने से आपकी आई ब्रो ब्लैक
और शाइनी बन जाएंगी।
अडें की जर्दी एग योक प्रोटीन
— दो दो दो दो दो दो दो दो दो

करन से य जल्द हा माटा आर काली हो जाती है। एलोवेरा एलोवेरा में मौजूद एंजाइम आइब्रो के बलों को मॉइश्शराइज करते हैं और इसकी रंगत को गहरा और इसे धना बनाते हैं। ऐसे में एलोवेरा जेल में ऑलिव ऑयल को मिलाकर नियमित रूप से सोने से पहले इसे आर बायोटन का रिच सास है। ये दोनों बालों की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप ऐसा उपाय चाहती हैं जो रोज नहीं करना पड़े तो जर्दी वाला उपाय अपना सकती है। बीक में एक या दो बार अंडे की जर्दी को आइब्रोज पर लगाए और बीस मिनट लगा रहने दें। गुड़हल का फूल

अपनी आइट्रो पर अप्लाई करें और सुबह सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें।

प्लाज का स्स आइट्रो को काला और मोटा बनाने के लिए

